परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

संख्या–3867एलएएस / 10–214एलएएस / 10 दिनांक 27 अगस्त :2010

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–मा0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दायर फर्जी एक्सीडेन्ट <u>क्लेम के वादों को निरस्त कराने के सम्बन्ध में ।</u>

प्रायः यह देखा जा रहा है कि उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाएं न होने के बावजूद भी फर्जी एक्सीडेन्ट क्लेम दायर हो रहे हैं, जिससे अनावश्यक रूप से धनराशि निगम को ब्यय करनी पड़ती है। इस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान चिन्ता व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि फर्जी एक्सीडेन्ट क्लेम योजित होने पर ऐसे वादों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए तत्काल निरस्त करायी जाये ताकि फर्जी एक्सीडेन्टल क्लेम में अंकुश लग सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि फर्जी एक्सीडेन्टल क्लेम से संबंधित यदि कोई वाद आपके क्षेत्र में दायर हैं तो सुसंगत तथ्यों को अधिकरण के समक्ष रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय।

कृपया अपने स्तर से की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या भेजें।

(शशि शेखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक) / सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम।

(शशि शेखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com